CHHATTISGARH STATE WETLAND AUTHORITY

छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

Aranya Bhavan, North Block, Sector-19, Atal Nagar, Dist.- Raipur (Chhattisgarh)

अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

Phone & Fax No. 0771- 2512807 Email :cgstatewetland@gmail.com

क्रमांक / वेटलैण्ड / ...869 रायपुर,दिनांक 25 / 06 / 2025

छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा वेटलैण्ड मित्र (Wetland Mitra) बनने के लिए इच्छुक व्यक्तियों / संस्थाओं से आवेदन का आमंत्रण

वेटलैण्ड :–

वेटलैंड का अर्थ दलदल, फेन, पीटलैंड या पानी का क्षेत्र है, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या बहने वाले पानी के साथ, ताजा, खारा या नमक, जिसमें समुद्री पानी के क्षेत्र शामिल हैं। वेटलैण्ड भू–जल पुनर्भरण / संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और खाद्य नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे घरेलू और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान हैं। वेटलैण्ड आसपास के निवासियों की आजीविका की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। राज्य के आर्द्रभूमि (Wetland) वेटलैण्ड पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण संतुलन में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करते है, साथ ही ये आर्द्रभूमि विविध प्रकार के वानस्पतिक एवं जैवविविधता के पोषक एवं संरक्षक भी हैं। लेकिन नियमित मानवजनित गतिविधियों और उनके दुरुपयोग के कारण वेटलैण्ड की स्थितियों में गिरावट की स्थिति में हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण :–

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के नियम 5 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा राज्य के वैटलैण्ड के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों हेतु वन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है एवं छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड कार्यालय को वेटलैण्ड अथॉरिटी के सचिवालय के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित जिले के कलेक्टर अध्यक्ष हैं।

भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैण्ड का संरक्षण, वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के नियम 4 के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वेटलैण्ड–मित्र :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैण्ड के संरक्षण और संवर्धन हेतु स्थानीय हितधारकों की भागीदारी को सक्षम करने के लिए एक नागरिक नेटवर्क – वेटलैण्ड मित्र का गठन करने की आवश्यकता की परिकल्पना की है। इस परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वेटलैण्ड्स के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक नागरिक नेटवर्क – वेटलैण्ड मित्र का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

वेटलैंड मित्र को वेटलैंड्स संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों में सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए संबंधित इच्छुक नागरिकों के एक अनौपचारिक, स्वैच्छिक और गैर–सांविधिक (Non-Statutory) समूह के रूप में माना जा सकता है। इस समूह का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है, साथ ही आर्द्रभूमि के एकीकृत प्रबंधन और निगरानी में स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना और समुदाय–आधारित संगठनों, व्यवसायों, लाइन विभागों और ज्ञान भागीदारों को इसमें शामिल कर एक संचार नेटवर्क तैयार करना भी है। इस प्रकार वेटलैण्ड संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों की सफलता के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास के वेटलैण्ड के संरक्षण, प्रबंधन और सौंदर्यीकरण के लिए अपना समय और सेवाएं प्रदान कर सकता है, वेटलैण्ड मित्र बनने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए प्राधिकरण का उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना और वेटलैण्ड के संरक्षण के एक सामान्य उद्देश्य के साथ उन्हें साथ लाना है।

वेटलैण्ड मित्र – भूमिका और उत्तरदायित्व :–

1. वेटलैण्ड के संरक्षण व संवर्धन संबंधी कार्यों (सामान्य रूप से), महत्व तथा प्रासंगिक मूल्यों के संबंध में स्थानीय समुदायों, स्थानीय कल्याणकारी समूहों और अन्य हितधारकों के साथ जन–जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. विशिष्ट/चयनित वेटलैण्ड के लिए वेटलैण्ड मित्रों और स्वयंसेवकों की एक टीम तैयार करना और वेटलैण्ड के जीर्णोद्धार, कायाकल्प और प्रबंधन में संलग्न करना। वेटलैण्ड प्रबंधन योजना और क्रियान्वयन प्रक्रियाओं में भाग लेना।
3. वेटलैण्ड हितग्राहियों के विचार प्राधिकरण एवं संबंधित जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति के सामने लाना तथा स्थानीय विकास योजनाओं तथा जिले में तैयार किये जा रहे डिस्ट्रीक्ट इन्वायरमेंट प्लान में वेटलैण्ड संरक्षण को महत्व प्रदान करते हुए जिले के वेटलैण्ड को योजना में शामिल करवाना।

4. वेटलैंड्स पर होने वाली किसी भी हानिकारक गतिविधियों जैसे कि अतिक्रमण, परिवर्तन, ठोस अपशिष्टों का निर्वहन, अनुपचारित अपशिष्ट, देशी प्रजातियों की रिहाई और अन्य विषयों से प्राधिकरण एवं संबंधित जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति को अवगत कराना।

वेटलैण्ड मित्र हेतु आवश्यक योग्यता :–

1. भारतीय नागरिक होना चाहिए
2. आवेदक के कार्यक्षेत्र अथवा वेटलैण्ड के समीप घर की स्थिति
3. पंजीकरण के समय आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
4. हिन्दी, छत्तीसगढ़ी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
5. वेटलैण्ड संरक्षण गतिविधियों में राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए।
6. स्वेच्छा से, स्वयं प्रतिबद्ध होकर और बिना किसी मानदेय के वेटलैंड मित्र का काम करने को तैयार हैं।

सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. वेटलैंड मित्र को वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के गाईडलाईन के अनुसार काम करना होगा।
2. वेटलैंड मित्र को समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों का पालन करना होगा।
3. वेटलैंड मित्र को वेटलैण्ड नियमों के सभी निर्देशों और आदेशों का पालन करना होगा।
4. वेटलैण्ड मित्र को संबंधित जिले में गठित जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति के साथ मिलकर कार्य करना होगा।
5. वेटलैंड मित्र की वेटलैण्ड संरक्षण गतिविधियों के संबंध में कार्य क्षमता का आकलन हर 6 महीने में किया जाएगा।
6. वेटलैंड मित्र की सेवा की अवधि 2 वर्ष की होगी जिसे कार्य के आंकलन उपरांत बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
7. यदि किसी वेटलैण्ड मित्र के द्वारा की जा रही वेटलैण्ड संरक्षण संबंधी गतिविधियां पक्षपातपूर्ण अथवा दुराचार प्रतीत होती हैं, जो प्राधिकरण के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वेटलैंड मित्र होने से अयोग्य किया जा सकता है।
8. यह पूरी तरह से गैर–लाभकारी कार्य है और वेटलैण्ड मित्र को इसके लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।
9. प्राधिकरण द्वारा वेटलैण्ड मित्र को किसी भी प्रकार की कर्मचारी सुविधा या यात्रा की सुविधा नहीं दिया जाएगा। वेटलैण्ड मित्र को स्वयं के साधनों से यह कार्य करना होगा।

10. वेटलैण्ड मित्र को वेटलैंड नियमों का पालन करने के लिए जनभागीदारी का आश्वासन देना होगा और यदि लोगों के द्वारा इसका पालन नहीं करते हुए वेटलैण्ड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 का उल्लंघन किया जाता है, तो वेटलैंड मित्र को प्राधिकरण तथा संबंधित जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति के समक्ष रिपोर्ट करना होगा।

11. वेटलैण्ड मित्र बनने हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में परिशिष्ट–1 अनुसार तथा संस्थागत श्रेणी में परिशिष्ट–2 के अनुसार आवेदन छत्तीसगढ़ वेटलैण्ड प्राधिकरण कार्यालय अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में **दिनांक 28.07.2025** तक प्रस्तुत करेंगे।

–0–

– वेटलैण्ड मित्र हेतु आवेदन प्रारूप (व्यक्तिगत श्रेणी) –

1	पूरा नाम	–	....
2	जन्म तिथि	–	....
3	लिंग(महिला / पुरूष)	–	....
4	राष्ट्रीयता	–	....
5	संपर्क विवरण	–	मोबाईल ....
			ई–मेल ....
6	पूर्ण पता (पिन कोड सहित)	–	....
7	नगर पालिका / नगर निगम क्षेत्र	–	....
8	जिला	–	....
9	राज्य	–	....
10	वर्तमान व्यवसाय / सर्विस	–	....
11	शैक्षणिक योग्यता	–	....
12	अध्ययन का क्षेत्र	–	....
13	भाषा का ज्ञान	–	.... / .... / ....
14	कुशलता का क्षेत्र	–	....
15	वेटलैण्ड मित्र क्यों बनना चाहते हैं	–	....

16 आपकी रूचि के क्षेत्र – ....

Wetland assessment & Surveys/ Bird Surveys / Cleanup Drives / Awareness / Mobilization/ Monitoring/ other (Specify)

....

....

17 क्या आपके द्वारा उपरोक्त गतिविधियों (बिंदु 16 में उल्लेखित) में पूर्व में सहभागिता की गई है? यदि की गई है, तो विस्तृत विवरण देवें – ....

....

....

....

/ /शपथ/ /

मैं (..), निवासी ...., तहसील............................, जिला ...., अपने निकटस्थ वेटलैण्ड .... (वेटलैण्ड का नाम) के संरक्षण, संवर्धन एवं जनजागरूकता हेतु प्रति महीने .... घंटा (न्यूनतम 20 घंटा प्रति महीने) स्वेच्छा से, स्वयं प्रतिबद्ध होकर बिना किसी वित्तीय लाभ के कार्य करने को सहमत हुं।

मेरे द्वारा वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के गाईडलाईन के अनुसार कार्य करते हुए वेटलैण्ड नियमों के सभी निर्देशों और आदेशों का पालन किया जाएगा एवं जिला .... में गठित जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।

हस्ताक्षर

(..)

पता ....

....

मोबा. नं. ....

– वेटलैण्ड मित्र हेतु आवेदन प्रारूप (संस्थागत श्रेणी) –

1	संस्था का नाम	–	....
2	पंजीयन तिथि / प्रमाणपत्र	–	....
3	संस्था में स्वयंसेवकों की संख्या	–	....
4	संपर्क विवरण	–	मोबाईल ....
			ई–मेल ....
5	पूर्ण पता (पिन कोड सहित)	–	....
			....
			....
			....
6	नगर पालिका / नगर निगम क्षेत्र	–	....
7	जिला	–	....
8	राज्य	–	....
9	संस्था का कार्यक्षेत्र	–	....
10	संस्था का कार्यानुभव वर्ष	–	
11	वेटलैण्ड मित्र क्यों बनना चाहते हैं	–	....
			....
			....
			....

....

12 संस्था की रूचि के क्षेत्र — ....

Wetland assessment & Surveys/ Bird Surveys / Cleanup Drives / Awareness / Mobilization/ Monitoring/ other (Specify)

....

....

13 क्या संस्था के द्वारा उपरोक्त गतिविधियों (बिंदु 16 में उल्लेखित) में पूर्व में सहभागिता की गई है? यदि की गई है, तो विस्तृत विवरण देवें — ....

....

....

....

....

....

//शपथ//

संस्था (...), पता ...., तहसील............................., जिला ...., अपने निकटस्थ वेटलैण्ड .... (वेटलैण्ड का नाम) के संरक्षण, संवर्धन एवं जनजागरूकता हेतु प्रति महीने .... घंटा (न्यूनतम 20 घंटा प्रति महीने) स्वेच्छा से, स्वयं प्रतिबद्ध होकर बिना किसी वित्तीय लाभ के कार्य करने को सहमत है।

संस्था के द्वारा वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के गाईडलाईन के अनुसार कार्य करते हुए वेटलैण्ड नियमों के सभी निर्देशों और आदेशों का पालन किया जाएगा एवं जिला .... में गठित जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा।

हस्ताक्षर

(...)

पता ....

....

मोबा. नं. ....